न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 83/2019 (RCMS : 2019/00136) अनवान् गुरमेल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 24–ओ, भुट्टीवाला, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. मेवा सिंह पुत्र श्री दलीप सिह जाति जटसिख निवासी भुट्टीवाला तहसील दोदा जिला मुक्तसर (पंजाब) 2. मनजीत कौर पत्नी श्री सेवा सिंह जाति जटसिख निवासी भुट्टीवाला तहसील दोदा जिला मुक्तसर (पंजाब) 3. सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर 4. उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर 5. गुरतेज सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 24–ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

16.10.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह उपस्थित है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 43/2016(दावा) अनवानी गुरमेल सिंह आदि बनाम मेवा सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (आर.टी.ए.) एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 43/2016 अनवानी गुरमेल सिह आदि बनाम मेवा सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (आर.टी.ए.) में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थी के अधिवक्ता को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति एवं उनके कार्यालय की मूल पत्रावलिया 43/2016(धारा 212 आरटीए) व 43/2016(धारा 88,188 आरटीए) उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर